कृषि कुंभ (मार्च, 2023),
खण्ड 02 भाग 10, पृष्ठ संख्या 70–72

कृषि – पण्यों का कोटिकरण और मानकीकरण

सचिन कुमार वर्मा[1], आदित्य भुषण श्रीवास्तव[2], संदीप गौतम[3] एवं हर्षित मिश्रा[4]
[1,2,3,4]शोध छात्र, कृषि अर्थशास्त्र
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोधोगिकी विश्वविधालय, कुमारगंज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत।
Email Id: sachinssv974@gmail.com

उत्पादक कृषकों द्वारा विभिन्न समय पर तथा विभिन्न स्थानों पर बाजार में लाए जाने वाले कृषि उत्पादों की गुणवत्ता माल–दल–माल के आधार पर भिन्न होती है। इन अंतरों को दूर करने के लिए तथा विभिन्न बाजारों में विपणित उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य हासिल करने के लिए प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक तर्ज पर उत्पादों का कोटिकरण किया जाना अनिवार्य है। वैज्ञानिक कोटिकरण गुणवत्ता पहलुओं के विषयक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए ताकि विक्रेता उस गुणवत्ता का वर्णन करने में समर्थ हो सके जिसकी वे पेशकश कर रहे हैं तथा क्रेता यह समझ सकें कि उन्हें बाजार में कौन सी चीज पेश की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन (कोटिकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 के अधिनियमन के साथ ही वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि पण्यों के विपणन को संगठित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार को कृषि पण्यों और मवेशी उत्पादों के लिए ग्रेड मानक–निर्दिष्ट करने तथा ग्रेड मानकों के प्रयोग को विनियमित करने वाली शर्तों को निर्धारित करने तथा ग्रेडिंग के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। वर्तमान में 212 कृषि पण्यों ऐसे हैं जिनके लिए कोटि मानक उपलब्ध हैं। भारत के कोटिकृत उत्पादों को एगमार्क लेबल प्राप्त होता है। विभिन्न रंग के एगमार्क लेबल उत्पाद की विभिन्न कोटिया प्रदर्शित करते हैं। एगमार्क लेबल उत्पाद की शुद्धता और गुणवत्ता का संकेतक है। यह उपभोक्ता का संरक्षण सुनिश्चित करता है। एगमार्किंग निम्न प्रयोजनों के लिए देश में विद्यमान हैं।

- कृषि पण्यों की घरेलू खपतय
- कृषि पण्यों का निर्यात,
- उत्पादक के स्तर पर एगमाकिंग।

कोटिकरण और मानकीकरण?

कोटिकरण और मानकीकरण एक विपणन कार्य है, जो उत्पाद के संचलन को सुकर बनाता है। मानकीकरण के बिना संशय और अनुचित कृत्यों की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। मानकीकरण शब्द का प्रयोग काफी व्यापक संदर्भ में किया जाता है। पण्यों के लिए कोटि मानक पहले निर्धारित किए जाते हैं तथा उसके पश्चात पण्यों को स्वीकृत मानकों के अनुरूप छांटा जाता है। उत्पादों को गुणवत्ता विनिर्देशनों के अनुरूप कोटिकृत किया जाता है। परंतु यदि ये गुणवत्ता विनिर्देशन विक्रेताओं के आधार पर भिन्न–भिन्न होते हैं, तो कोटियों के संदर्भ

में काफी संशय उत्पन्न हो जाएगा। किसी विक्रेता की शीर्ष कोटि दूसरे विक्रेता की द्वितीय कोटि से घटिया हो सकती है। इसके फलस्वरूप क्रेता कोटिकरण पर से विश्वास खो देंगे। इस स्थिति को टालने के लिए यह आवश्यक है कि निश्चित कोटि मानक रखे जो की सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हो तथा जिनका अनुपालन सभी व्यापारों में किया जाए।

मानकीकरण खरीदारों, विक्रेताओं और उत्पादकों के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए विभिन्न वस्तुओं के लिए मानक स्थापित करने की प्रक्रिया है। मानक ग्रेड, उत्पादन विधियों या निपटान प्रक्रियाओं पर आधारित हो सकते हैं। ग्रेड छँटाई उत्पादों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न ढेरों में विभाजित करने का एक तरीका है। यह उनके मानकीकृत होने के बाद किया जाता है, ताकि ढेर के सभी उत्पादों में समान विशेषताएं हों।

कोटिकरण के प्रकार

निश्चित कोटिकरण/अनिवार्य कोटिकरण– आकार गुणवत्ता तथा अन्य विशेषताओं के अनुरूप छंटाई जो कि निश्चित है।

क) अनुमेय/मूल्यवान कोटिकरण: मानक समय के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।

ख) आविष्कृत/गैर–केन्द्रीयकृत कोटिकरण पैकर या तो अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करता है–आविष्कृत/गैर–केन्द्रीयकृत कोटिकरण: पैकर या तो अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करता है– अनुमोदित कोटिकरण लॉट उस प्रयोजनार्थ निश्चित किए जाते हैं।

ग) उत्पादक के स्तर पर कोटिकरण: इस कार्यक्रम के अंतर्गत, विक्रय के लिए पेशकश से पूर्व उत्पाद की छंटाई के लिए कृषकों को बाजार में निःशुल्क कोटिकरण सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

कोटि मानकों के लिए मानदण्ड

वे मानदण्ड निम्नलिखित हैं जो मानकों की पर्याप्तता अवधारित करेंगे–

क) मानक ऐसी विशेषताओं पर तैयार किए जाने चाहिए, जिन्हें प्रयोक्ता महत्वपूर्ण समझते हैं तथा ऐसी विशेषताएं आसानी के साथ पहचानी जाने योग्य होनी चाहिए। प्रयोक्ता की राय को अधिक अधिमान दिया जाना चाहिए।

ख) कोटि मानक ऐसे कारकों पर तैयार किए जाने चाहिए जिनका मापन तथा निर्वाचन सही और समान रूप से किया जा सके। वस्तुपरक मापन पर आधारित कोटि मानकों को समान रूप से लागू किया जाना कठिन होगा, विशेष रूप से विभिन्न कोटियों और कारकों द्वारा जो स्वयं कोटि की उपयोगिता को कम कर देगा।

ग) कोटि मानक शब्दावली विपणन चौनलों के सभी स्तरों पर समान होनी चाहिए।

घ) कोटिकरण प्रणाली के प्रचालन की लागत युक्तियुक्त होनी चाहिए।

कोटि मानकों की पर्याप्तता का श्रेष्ठ व्यावहारिक परीक्षण उनकी स्वीकार्यता तथा कोटियों की पर्याप्तता के व्यावहारिक परीक्षण द्वारा प्रयोग किया जाना है जिसे व्यापक रूप में प्रयोग में लाया जाता हैय इसका अर्थ है कि वे उचित रूप से पर्याप्त और अर्थपूर्ण हैंय परंतु यदि बाजार

कार्यकर्ताओं का विशाल खण्ड मानकों का प्रयोग नहीं करता है, तो यह माना जाना चाहिए कि कतिपय मानदण्डों की पर्याप्त, पूर्ति नहीं की गई है, जो उपभोक्ताओं की संतुष्टि करते हैं।

कोटिकरण के लाभ

कोटिकरण को अपनाने के कारण उत्पादकों और उपभोक्ताओं को उपलब्ध लाभ हैं–

- कोटिकरण विपणन को सुकर बनाता है, क्योंकि उपभोक्ता विभिन्न उत्पादों के कोटि निर्दिष्टीकरण के विषय में पूर्णतः जागरूक होते हैं, ताकि विक्रेता को उनके उत्पाद की गुणवत्ता के विषय में क्रेता को कायल करने के लिए बहुत अधिक प्रयास न करना पडे।
- कोटिकरण उत्पाद के लिए बाजार को व्यापक बनाता है क्योंकि कोटिकृत उत्पादों का क्रय और विक्रय एक–दूसरे से काफी दूर स्थित पक्षों के बीच उत्पाद का निरीक्षण किए बगैर भी हो सकता है।
- कोटिकरण विज्ञापन पर व्ययों को न्यूनतम बनाकर विपणन की लागत को कम करता है, भण्डारण हानियों के कारण होने वाली हानियों, वैयक्तिक निरीक्षण के कारण होने वाली लागतों में कमी करता है।
- कोटिकरण बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए उच्च मूल्य प्राप्त करने के लिए उत्पादकों को समर्थ बनाते हैं, क्योंकि अधिकांश उपभोक्ता उच्च मूल्यों पर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों को खरीदना पसंद करते हैं।
- कोटिकरण विभिन्न बाजार प्रचालनों के निष्पादन में सहायता करता है जैसे बेहतर पैकेजिंग, उत्पादों की पूलिंग, उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने में सुधार तथा आवाजाही की प्रक्रिया के दौरान क्षति होने के मामले में परिवहन एजेंसी से दावे का निपटान, आदि।
- कोटिकरण उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने में सहायता करता है, अतः उपभोक्ताओं के विक्रय जोखिम को कम करता है।
- कोटिकरण बेहतर बाजार प्रतिस्पर्धा आदि के सृजन के माध्यम से मूल्य निर्धारण कार्यकुशलता में वृद्धि करता है।

निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण

उपभोक्ताओं का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य है कि कोटिकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जाए। इस प्रयोजनार्थ वस्तुओं का नियमित अंतराल पर तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिये। इस निरीक्षण में यह अवधारित करने के उद्देश्य से कोटिकृत वस्तुओं का परीक्षण शामिल है कि क्या वे विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हैं। यह गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करता है। निरीक्षण के प्रयोजन के लिए उत्पाद के नमूने विभिन्न स्तरों पर लिए जाते हैं विनिर्माताओं से, बाजार के दलालों से अथवा उपभोक्ता से उनके घरों पर तथा उन्हें प्रयोगशाला में निरीक्षित किया जाता है। सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक ऐसे निरीक्षण करते हैं। इनकी नियुक्ति उत्पादक या क्रेता द्वारा नहीं की जाती है।